न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल

अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 4021–पीबीआर/2013 विरूद्ध आदेश दिनांक 25–9–2013 पारित द्वारा अपर आयुक्त इंदौर संभाग इंदौर, प्रकरण कमांक 333/2011–12/अपील ।

जब्बार अली पिता स्व0 कादर अली
निवासी ग्राम गवला तहसील सांवेर,
जिला इंदौर

.....आवेदक

विरूद्ध

श्रीमती छितीयाबाई बेवा स्व0 बरकतअली
निवासी ग्राम गवला तहसील सांवेर,
जिला इंदौर

.....अनावेदक

सुश्री मेहरून्निशा, अभिभाषक, आवेदक
श्री विजय चौहान, अभिभाषक, अनावेदक

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 18/12/16 को पारित)

आवेदक की ओर से संहिता की धारा 44(2) के अन्तर्गत अपर आयुक्त द्वारा द्वितीय अपील में पारित आदेश दिनांक 25–9–13 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है, जबकि संहिता की धारा 44 के अन्तर्गत तृतीय अपील प्रस्तुत किये जाने का प्रावधान नहीं है, अतः इस अपील को निगरानी में परिवर्तित कर निराकृत किया जा रहा है, अतः आगे अपीलार्थी को आवेदक एवं प्रत्यर्थी को अनावेदक कहा जायेगा ।

2/ आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त, इंदौर संभाग, इंदौर के द्वारा पारित आदेश दिनांक 25–9–2013 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

3/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि आवेदक द्वारा तहसीलदार के समक्ष ग्राम गवला तहसील सांवेर स्थित भूमि सर्वे कमांक 166/1 रकबा 1.493 हेक्टेयर पर रहमत

अली व कादर अली के स्थान पर नामान्तरण की मॉग की गई है । तहसीलदार द्वारा नामान्तरण पंजी प्रविष्टि कमांक 1 पर दिनांक 5–8–2010 को आदेश पारित कर आवेदक का नामान्तरण स्वीकृत किया गया । तहसीलदार के आदेश के विरूद्ध प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 24–5–12 को आदेश पारित कर अपील अवधि बाह्य होने से निरस्त की गई । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील अपर आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत की गई और अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 25–9–13 को आदेश पारित कर अनुविभागीय अधिकारी एवं तहसीलदार के आदेश निरस्त किये जाकर प्रकरण इस निर्देश के साथ तहसीलदार को प्रत्यावर्तित किया गया कि प्रश्नाधीन भूमि पर वैध वारिसों का नाम राजस्व अभिलेख में अंकित किया जाये । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरू यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

4/ प्रकरण दिनांक 21–4–16 को इस निर्देश के साथ आदेशार्थ सुरक्षित रखा गया था कि उभयपक्ष के अभिभाषक एक सप्ताह में लिखित तर्क प्रस्तुत करेंगे, परन्तु उनके द्वारा आज दिनांक तक लिखित तर्क प्रस्तुत नहीं किये गये हैं , अतः प्रकरण का निराकरण निगरानी मेमों में उल्लिखित आधारों एवं अभिलेख के आधार पर किया जा रहा है ।

5/ आवेदक की ओर से निगरानी मेमों में निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) अपर आयुक्त द्वारा सर्वे कमांक 166/1 रकबा 1.493 हेक्टेयर के संबंध में आदेश पारित किया गया है, जबकि विवादित भूमि सर्वे कमांक 160/1 है, अतः अपर आयुक्त का आदेश इसी आधार पर निरस्त किये जाने योग्य है ।

(2) आवेदक का नामान्तरण रहमत अली के स्थान पर हुआ है, जो कि अभी जीवित है, अतः वारिस का नाम दर्ज करने के आदेश देने में अपर आयुक्त द्वारा विधिक त्रुटि की गई है ।

(3) अनावेदक के पति स्व0 वरकतअली के पिता कादरअली का नाम प्रश्नाधीन भूमि पर कभी भी दर्ज नहीं रहा है, ऐसी स्थिति में अपर आयुक्त द्वारा तहसीलदार एवं अनुविभागीय अधिकारी के आदेश निरस्त करने में त्रुटि की गई है ।

(4) अपर आयुक्त द्वारा यह पाया गया है कि अनुविभागीय अधिकारी को गुणदोष पर आदेश पारित करना था, ऐसी स्थिति में अपर आयुक्त को प्रकरण गुणदोष पर निराकरण हेतु अनुविभागीय अधिकारी को प्रत्यावर्तित कर स्वयं गुणदोष पर निराकृत नहीं करना था ।

(5) चूँकि अनावेदिका अथवा उसके पूवर्ज प्रश्नाधीन भूमि के भूमिस्वामी नहीं है, इसलिये उसे अपील प्रस्तुत करने का अधिकार नहीं था, इसलिये उसकी कोई लोकसस्टेंडायस नहीं है ।

6/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । तहसीलदार के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि तहसीलदार द्वारा मृतक भूमिस्वामी के सभी वैध वारिसों को सूचना एवं सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया है। जबकि मृतक भूमिस्वामी के वैध वारिस प्रकरण में हितबद्ध पक्षकार है और संहिता की धारा 109, 110 के अन्तर्गत बने नामान्तरण नियमों के नियम 27 के अन्तर्गत हितबद्ध पक्षकारों को व्यक्तिशः सूचना दी जाकर सुनवाई का अवसर दिये जाने का प्रावधान है । अतः तहसीलदार का आदेश अवैधानिक होने से निरस्त किये जाने योग्य है, परन्तु अनुविभागीय अधिकारी द्वारा भी उपरोक्त वैधानिक स्थिति पर बिना विचार किये अपील अवधि बाह्य मानकर निरस्त की गई है, ऐसी स्थिति में अपर आयुक्त द्वारा तहसीलदार एवं अनुविभागीय अधिकारी के आदेश निरस्त किये जाकर वैध वारिसों का नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज किये जाने के लिये प्रत्यावर्तित करने में किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता नहीं की गई है । अपर आयुक्त के आदेश के सन्दर्भ में तहसीलदार सभी संबंधितों को सुनकर पुनः वैध वारिसों का निर्णय लेकर आदेश पारित करें ।

7/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त, इंदौर संभाग, इंदौर के द्वारा पारित आदेश दिनांक 25–9–2013 उक्त निर्देशों के साथ स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर